(41)

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1529/दो/2008 विरूद्व आदेश दिनांक 29-9-08 – पारित – व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 146 अ 6/2006-07 अपील

1- महेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह लोधी
2- श्रीमती सुषमा वाई वेवा देवेन्द्रसिंह लोधी
3- दीपशिखा नावालिक पुत्री देवेन्द्रसिंह
सरपरस्त माता सुषमावाई लोधी
4- दीक्षा नावालिक पुत्री देवेन्द्रसिंह
सरपरस्त माता सुषमावाई लोधी
सभी निवासी ग्राम नेतना तहसील खुरई
जिला सागर मध्य प्रदेश

----आवेदकगण

विरूध्द

1- श्रीवाई पत्नि बाबूलाल सौर (आदिवासी)
ग्राम पटकुई तहसील व जिला सागर
2- मध्य प्रदेश शासन

----अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव
अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री के.एस.निगम

आदेश

(आज दिनांक 21-7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 146/अ-6/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2008 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (आगे संहिता अंकित किया गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महेन्द्रसिंह एंव देवेन्द्रसिंह (अब मृतक) ने नायव तहसीलदार वृत्त बांदरी तहसील खुरई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बांदरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 197 रकबा 2.04 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 305 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 हैक्टर (आगे

जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) के फुलू पुत्र कीरतसिंह लोधी भूमिस्वामी थे, जो जीवनभर साथ रहे । उन्होंने एक आदिवासी महिला श्रीमती हरवाई को अपने साथ रख लिया था वह भी बेओलाद थी जो शेष जीवन साथ में रही। आवेदकगणों की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने जीवनकाल में बसीयतनामा दिनांक 15–3–95 आवेदकगण के हित में लिखा है , जिनकी मृत्यु 17–12–95 को हो गई है उसके एक वर्ष वाद महिला हरवाई की मृत्यु हो गई है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 33 अ 6/2003–04 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-7–2004 करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक कमांक–1 एंव आवेदक कमांक–2 के वारिसान के हित में नामान्तरण करना स्वीकार किया।

नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.7.04 के विरूद्व श्रीवाई पत्नि बाबूलाल सौर निवासी ग्राम नेतना ने अनुविभागीय अधिकारी, खुरई के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 119 अ 6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 30.8.06 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां अपील कमांक 146/अ–6/06–07 प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दि. 29–9–08 से अपील निरस्त की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, खुरई ने आदेश दिनांक 30.8.06 से तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 29–9–08 से नायव तहसीलदार के आदेश को इसलिये त्रृटिपूर्ण माना है क्योंकि नामान्तरण का प्रकरण एकवार दर्ज हो जाने के वाद दूसरा आवेदन

देकर नामान्तरण कराया है। नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 33/अ-6/03-04 के अवलोकन पर पाया गया कि यह प्रकरण आवेदकगण के आवेदन पर दिनांक 30-7-03 को कायम होकर ग्राम में इस्तहार के प्रकाशन का आदेश हुआ , इसके वाद प्रकरण में 7 पेशियॉ लगाई गई है, किन्तु दिनांक 30.1.04 को आवेदकगण अथवा उनकी ओर से किसीके उपस्थित न होने से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ है तथा पुर्नस्थापन आवेदन आने पर 23-2-04 को प्रकरण पुर्नस्थापित किया गया और उसके वाद सुनवाई हेतु 11 पेशियॉ लगीं जिनमें हितबद्व पक्षकारों की साक्ष्य ग्रहण की गई। जहां तक इस्तहार के प्रकाशन का प्रश्न है ? नायव तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 5 पर इस्तहार की प्रति संलग्न है जो 29.8.2003 को जारी किया गया है इस्तहार की एक प्रति ग्राम पंचायत को दी गई है जिसके पीठ पृष्ठ पर सरपंच के मय पदमुद्रा के हस्ताक्षर है। कोटवार से ग्राम में मुनादी कराई गई है प्रमाण में 9 ग्रामीणों के हस्ताक्षर लिये गये हैं अर्थात इस्तहार का प्रकाशन समुचित ढंग से किया गया है अर्थात नामान्तरण प्रकिया अपनाने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाई गई है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में नामान्तरण कार्यवाही हेतु प्रकरण कमांक निल अ-6/2000-01 चला है जिसमें भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

क0	खातेदार का नाम	ख0नंबर	रकबा
1-	हरवाई वेवा रल्ली	206	0.64
		470	0.09
2-	फुलू पुत्र कीरत	197	2.00
		305	0.06

नायव तहसीलदार के यहां प्रकरण कमांक निल अ-6/2000-01 अवश्य चला है किंतु नायव तहसीलदार ने इस प्रकरण को न तो दायर किया है और न ही इस प्रकरण में किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित हुआ है अपितु यह निर्णय अंतरिम आदेश दिनांक 30.5.01 से अवश्य लिया गया है कि मृतक

हरवाई वेवा रल्ली आदिवासी महिला है और उसकी आराजी कमांक 206, 470 पर नामान्तरण हेतु गैर आदिवासी व्यक्ति को कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करना होगी और प्रकरण उत्तराधिकार के कम में भूमि पाने का दावा करने तथा उत्तर प्रति उत्तर तथा दस्तावेज की स्टेज पूर्ण हो चुकी हो तो वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 197 एंव 305 के संबंध में आवेदकगण की साक्ष्य पेश करने हेतु लगाया गया है अर्थात प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया गया है।

विचार योग्य बिन्दु है कि यदि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार की अपेक्षानुकम में नामान्तरण आवेदन दिया और उस पर से नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 33 अ 6/2003—04 पंजीबद्ध किया है क्योंकि पूर्व के आवेदनों पर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है।

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 109, 110 — नामांत्रण कार्यवाही में इस्तहार का प्रकाशन सम्यकरूप से किया गया । ग्राम पंचायत को सूचना दी गई, ग्राम में डोढ़ी पिटवाकर मुनादी कराई गई । सभी प्रकियाओं का पालन कर नामान्तरण आदेश जारी किया गया। राजस्व अधिकारी व्दारा प्रकियात्मक त्रृटि की गई, जिसका खामियाजा अनपढ़ ग्रामीणों को नहीं भुगताया जा सकता।

6/ मृतक भूमिस्वामी फुलू जाति का लोधी है और प्रथम पत्नि की मृत्यु उपरांत उसके व्दारा आदिवासी महिला हरवाई को रख लिया अर्थात नात्रा कर लिया तथा मृतक फुलू से महिला हरवाई के कोई पुत्र/पुत्री उत्पन्न नहीं है मृतक महिला हरवाई के पूर्व पति से उत्पन्न अनावेदिका श्रीवाई पत्नि बाबूलाल सौर (आदिवासी) को मृतक भूमिस्वामी फुलू जाति लोधी के स्वामित्व की भूमि में नामान्तरण कराने की पात्रता नहीं है क्योंकि वह मृतक भूमिस्वामी फुलू जाति लोधी की रक्तज नहीं है वरण् बसीयतग्रहीता महेन्द्र सिंह लोधी एंव देवेन्द्रसिंह लोधी के पिता प्रताप सिंह लोधी का मृतक फुलू लोधी सजातीय एंव गोत्रज होने से तथा साक्ष्य से बसीयत प्रमाणित होने के कारण नामान्तरण के पात्र है। विचार योग्य है कि अनावेदिका यदि मृतक मुलू लोधी से उत्पन्न पुत्री होती, निश्चित है वह लोधी जाति में व्याही होकर सौर आदिवासी जाति में विवाहित नहीं होती। इसके वाद भी यह अनावेदिका मृतक मुलू लोधी की

भूमि पर पुत्री होने से नामान्तरण के स्वत्व की मांग करती है, तब स्वत्व के बिन्दु का निराकरण करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम न होने से वह सक्षम न्यायालय में अपना स्वत्व प्रमाणित कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण नायव तहसीलदार ने विधि एंव प्रकिया का पालन करते हुये आदेश दि. 30.6.2004 से आवेदकगण के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी खुरई एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने इन तथ्य पर गौर न करने की त्रृटि की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 146/अ-6/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2008 तथा अनुविभागीय अधिकारी खुरई व्दारा प्रकरण कमांक 119/अ-6/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलतः नायव तहसीलदार बांदरी तहसील खुरई व्दारा प्रकरण कमांक 33 अ 6/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2004 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,ग्वालियर
मध्य प्रदेश ग्वालियर